प्रशासकीय आदेश संख्याः /2025 ई0 (जौनपुर जजशिप)

दिनांकः अगस्त 01, 2025

सूचना

दिनांक 14.07.2025 के प्रशासकीय आदेश सं0 82/2025 के निर्देश द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र में मध्यस्थो के पैनल हेतु 04 पदो पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उक्त आवेदन पत्रो को जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **25.07.2025** नियत की गयी थी। माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0 2389/एसएलएसए–83/2025(संदीप/री) दिनांकित 30.07.2025 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जनपद जौनपुर के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र में लगभग 20 मध्यस्थो की नियुक्ति की जा सकती है।

अतः पूर्व के आदेश दिनांकित 14.07.2025 में संशोधन करते हुए उ0प्र0 सिविल प्रकिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के ए0डी0आर0 केन्द्र के मध्यस्थतो के पैनल हेतु कुल 14 पदो हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैः–

1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होः
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशः
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने अपने क्षेत्रो में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र सें सुपरिचित होंः

आवेदको को एक उपक्रम (अण्डर टेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।
प्रत्येक पैनल में सम्मिलित मध्यस्थ की पदावधि पैनल बनाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी।

आवेदक अपने आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों सहित दिनांक 07.08.2025 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकतें है। उक्त तिथि के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अनिल कुमार वर्मा–I
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जौनपुर।

प्रतिलिपिः–

01–जिलाधिकारी जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02–नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय जौनपुर को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय जौनपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

03–अध्यक्ष, जिला बार एसोसिऐशन जनपद न्यायालय जौनपुर को बार के नोटिस बोर्ड पर पर चस्पा करायें जाने हेतु।

04–केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय जौनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जौनपुर।